भारत सरकार
पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow
केन्द्रीय भवन, पंचम तल सेक्टर एच अलीगंज लखनऊ 226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: roez.lko-mef@nic.in

पत्र सं0 8बी/यू0पी0/06/268/2022/एफ.सी./1567 दिनॉक: 03.10.2022

सेवा में,
अति0 मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Others/31275/2018

विषयः कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) हेतु जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत इण्डियन ऑयल कार्पो० लि० द्वारा बीसलपुर – बिलसण्डा मार्ग संख्या 62 पी०ए० के चौनेज 14.346 से 14.381 बांयी पटरी पर ग्राम चरखौला तहसील बीसलपुर जिला पीलीभीत में स्थित खसरा / गाटा संख्या–568 में रिटेल आउटलेट / पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु संरक्षित वनभूमि 0.114123 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 01 वृक्ष के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक सं0 : 1557/81-2-2022-800(38)/2022, दिनांक–06.09.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके–

1. Revised CA scheme and related documents for plantation of 228 saplings over an area of 0.228 ha. shall be submitted and uploaded on PARIVESH portal.
2. NPV calculation and Penal NPV calculation needs to be submitted at revised rates as per orders dated 06.01.2022 & 19.01.2022.
3. Part-ii of the proposal at column-11 & 12 needs correction/clarification.
4. If the permission for use of forest land for non-forestry purposes has been granted by a State Authority then a report with full details of violation , authority responsible for violation etc. shall be submitted by the State Government on the recommendation of the Forest Department so as to initiate action under section 3A and/or 3B of FC Act, as may be applicable.
5. The State Govt. should inform about the action taken under IFA 1927.

भवदीया,

(डॉ0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1- प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।

2- मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।

3- प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग पीलीभीत वन प्रभाग पीलीभीत

4- वरिष्ठ प्रबन्धक (रिटेल सेल्स)इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि0 कमला नेहरु मार्ग बरेली।

5- पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

03.10.2022

(डॉ0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}